

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड १

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ६२] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च २४, १९७२/चैत्र ४, १८९४

No. 62] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 1972/CHAITRA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th March 1972

SUBJECT.—Scheme for the licensing of cotton yarn and cotton millmade textiles including garments and made-up for export to the U.K. for the period upto 31st December 1972.

No. P.N. (U.K. LICENSING)/2 OF 1972.—Attention is invited to the Government of India, Ministry of Foreign Trade Public Notice No. PN (U.K. LICENSING)/1 of 1972 dated 1st January, 1972 announcing the scheme of licensing of cotton yarn and cotton millmade textiles including garments and made-ups for export to the U.K. during the period from 1st January, 1972 to 31st March, 1972.

The Trade is hereby informed that the said Scheme has now been extended upto 1st December, 1972.

The other details of the Scheme remain unchanged

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1972

विषय.—31 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि के लिए यू०के० को पोशाकों तथा तैयार वस्त्रों सहित सूती धागे और मिल-निर्मित सूती कपड़े के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करने की योजना

संख्या पीएन (यू०के० लाइसेंस) 1972.—1 जनवरी, 1972, से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि के दौरान यू०के० को पोशाकों तथा तैयार वस्त्रों सहित सूती धागे और मिल-निर्मित सूती कपड़ों का यू०के० को निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करने की योजना को आस्थापित करने वाली भारत सरकार, विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या पीएन (यू०के० लाइसेंसिंग)/1, 1972 दिनांक 1 जनवरी, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

व्यापारियों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अब उक्त योजना 31 दिसम्बर, 1972 तक बहाल दी गई है।

योजना की अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

एम.एम. सेन,
मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात।